राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, E mail ID: md-nrhm-rj@nic.in

क्रमांकः F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/29 दिनांकः 26/5/2016

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष महिला चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष शिशु चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,
समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषयः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा संख्या (124) के अनुसार 1 जून 2016 से **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** लागू की जावेगी। यह योजना मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के स्थान पर प्रारम्भ करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में की गई है।

- **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** के अर्न्तगत राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर बालिका के जीवित जन्म पर प्रथम किश्त के रूप में देय राशि 2500/– रूपये व द्वितीय किश्त के रूप में देय राशि 2500/– रूपये बालिका के एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त व पूर्ण टीकाकरण होने की शर्त पर देय होगा एवं जिसको टीकाकरण कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- **1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अर्न्तगत देय परिलाभ Account Payee चेक के माध्यम से देय होगा।**
- राज्य में पूर्व में 1 अप्रैल 2013 से संचालित मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत नियमानुसार दिया जाने वाला प्रथम परिलाभ राशि रू. 2100/– 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक ही देय होगा।
- जिन बालिकाओं को मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत प्रथम परिलाभ राशि रू. 2100/– 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे तक दी जायेगी, उनको मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत आगामी दिये जाने वाले द्वितीय एवं तृतीय परिलाभ राशि रू. 2100/– एवं राशि रू. 3100/– पूर्व में जारी मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के दिशा–निर्देशानुसार दिया जायेगा। जिन बालिकाओं को मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम एवं द्वितीय परिलाभ दिया जा चुका है उनको मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत जारी दिशा–निर्देशानुसार तृतीय परिलाभ राशि रू. 3100/– दी जायेगी।

cojsy.nhm@gmail.com, pdmhrch@gmail.com

- 1 जून 2016 से, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानो जिन पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का ऑनलाइन परिलाभ दिया जा रहा है, इन संस्थानों पर भी 31 मई 2016 रात्री 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के केसेज में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत देय परिलाभ **Account Payee चेक के माध्यम से देय होगा।**
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिन पर **जननी सुरक्षा योजना** के तहत देय परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जावेगा।

"मुख्यमंत्री राजश्री योजना" के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन पृथक से जारी की जावेगी।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
6 आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7 समस्त जिला कलक्टर।
8 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
9 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10 उप शासन सचिव, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
11 निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आईईसी मुख्यालय, जयपुर।
12 निदेशक वित, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
13 परियोजना निदेशक – मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
14 समस्त अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क./स्वास्थ्य।
15 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक।
16 समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले।
17 समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
18 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
19 रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच

cojsy.nhm@gmail.com, pdmhrch@gmail.com